

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध-01-145/2025-

पटना, दिनांक- / /2026

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-755(17), दिनांक-03.07.2026 द्वारा संविदा के आधार पर प्राध्यापकों एवं सह-प्राध्यापकों को नियोजित करते हुये राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित किया गया है, परन्तु कतिपय चिकित्सक शिक्षकों द्वारा अबतक अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-755(17), दिनांक-03.07.2026 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित एवं पदस्थापित प्राध्यापकों एवं सह-प्राध्यापकों को अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान करने की अंतिम तिथि को दिनांक-20.08.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

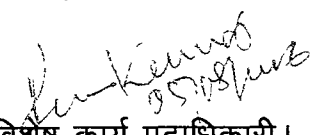
ज्ञापांक :-17/विविध 1-145/2025- 962(17) पटना, दिनांक :- 05/08/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
MKs